

को० फरुखाबाद

दि०- 24-06-2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मनोज पुत्र सोनेलाल निवासी काकन नगला थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 1044/2004 वाद स०- 03/2005 धारा- 18/20 NDPS ACT थाना को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.06.2024 को मा० न्यायालय एन०डी०पी०एस० एक्ट कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 माह का कठोर कारावास व 20,000/रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री शीलरत्न आनन्द



एडीजीसी -श्री दिनेश सिंह



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० मुकेश कुमार



